281

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/डी–1/वीएस/डीईएस/2015/1|33994|2015 दिनांकः -25|6|2015

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर

विषयः– जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम, पता आदि के संशोधन बाबत्।

सन्दर्भः– अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट जयपुर का पत्रांक 670 दिनांक 02.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधीक्षक, महिला चिकित्सालय ने सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि चिकित्सालय में होने वाली जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड का संधारण चिकित्सालय के मेडिकल रिकार्ड विभाग द्वारा किया जाता है एवं चिकित्सालय में घटित जन्म एवं मृत्यु की घटना के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा जारी किये जाते है। उक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र चिकित्सालय के स्थाई रजिस्टर में तत्समय ड्यूटी डाक्टर्स द्वारा की गई प्रविष्टि के आधार पर जारी किये जाते है परन्तु आमजन को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम, पते, तिथि आदि के संशोधन के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा चिकित्सालय के मूल रिकार्ड में संशोधन बाबत् भिजवाया जाता है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पडता है।

आमजन की सुविधा का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम जयपुर द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में ऐसे संशोधन यथा आवेदक एवं माता/पिता के मध्यनाम, सरनेम, पते आदि के लिए आमजन को चिकित्सा संस्थाओं में नहीं भिजवाया जावे। रजिस्ट्रार द्वारा चिकित्सा संस्थान से जन्म/मृत्यु तिथि की पुष्टि करायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनिय है कि रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के लिए कोई भी परिवर्तन/संशोधन करने से पूर्व यह भी आवश्यक है कि वह सभी तथ्यों/दस्तावेजों की जांच करें तथा अपनी संतुष्टि उपरान्त कार्यवाही करें।

अतः उपरोक्त व्यवस्था बाबत् अविलम्ब आदेश जारी कराने का श्रम करावें, ताकि आमजन को कठिनाई का सामना नहीं करना पडे।

भवदीय,

(भंवर लाल बैरवा)
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)